

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/435

देवलाल गुर्जर आयु 51 वर्ष आत्मज श्री शंकर लाल गुर्जर जाति गुर्जर निवासी बोरदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

—अपीलान्त

बनाम

राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, हिण्डोली जिला बून्दी ।

—रेस्पोंडन्ट

उपस्थित :- 1. श्री धन कुमार जैन, अभिभाषक, अपीलान्त की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोंडन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 01.11.2017

1. अपीलान्त द्वारा उक्त अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2015 के विरुद्ध पेश की गई है ।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्त ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत ग्राम बोरदा तहसील हिण्डोली की आराजी खसरा नम्बर 120/456 रकबा 06 बीघा भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी का वादी को खातेदार घोषित किया जावे ।
3. अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 19.06.2015 के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया ।
4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.06.2015 से व्यथित होकर वादी अपीलान्त ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्त स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।



(Handwritten signature)

5. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

6. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त निर्णय पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया जबकि राजस्व लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान सहमत हों और सहमति के आधार पर ही राजस्व लोक अदालत में निर्णय पारित किया जाता है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की सहमति के बिना ही उक्त निर्णय पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.06.2015 निरस्त किया जावे ।

7. रेस्पोंडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत वाद को राजस्व लोक अदालत में रखने से पूर्व अपीलान्ट को सूचित किया था और वह राजस्व लोक अदालत में उपस्थित हुए थे और उनके अधीनस्थ न्यायालय की आदेश संचिका में हस्ताक्षर करवाए थे । इस प्रकार उक्त निर्णय अपीलान्ट की उपस्थिति में ही विधि सम्मत तरीके से पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.06.2015 बहाल रखा जावे ।

8. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत पेश किया । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए निर्णित किया है । राजस्व लोक अदालत में रखने से पूर्व अपीलान्ट को सूचित किया गया था और वह राजस्व लोक अदालत में उपस्थित हुआ था उसके अधीनस्थ न्यायालय की आदेश संचिका पर हस्ताक्षर हैं । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह अपीलान्ट की उपस्थिति में ही पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायहित में उचित नहीं समझते हैं ।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.06.2015 बहाल रखा जाता है ।

10. निर्णय आज दिनांक 01.11.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा